an>

Title: Need to include people belonging to Musahar Scheduled Caste community in the list of Scheduled Tribes.

डॉ. महेन्द्र नाथ पाण्डेय (चन्दौली) : उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे नियम 377 के अधीन बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। वैसे तो देश के अन्य प्रान्तों में भी मुसहर व वनमानुष जाति के लोग हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश एवं बिहार ही मुख्यत: इनकी निवास भूमि है। वास्तव में ये दोनों एक ही जातियां हैं, लेकिन कुछ क्षेत्रों में मुसहरों को वनमानुष के रूप में जाना जाता है, विशेषकर फैजाबाद में। पूर्वी उत्तर प्रदेश के हर जिले में इनकी संख्या 50 हजार से एक लाख तक है। दुर्भाग्य से उत्तर प्रदेश एवं बिहार की सरकारों ने मुसहरों को भी अनुसूचित जाति में ही रखा है, जहां प्रतिस्पर्धा न कर पाने की वजह से ये आरक्षण आदि सभी सुविधाओं से पूर्णतया वंचित हैं।

मुसहर समाज के लोगों का खान-पान, रीति-रिवाज, रहन-सहन, शादी-विवाह जनजातीय लोगों से हुबहू मिलते हैं, न कि अनुसूचित जाति के लोगों से मिलते हैं। इनकी बसावट भी दलित बस्तियों की बजाय गांवों के बाहर वाले पहले के वनीय क्षेत्रों में ही हैं। भले ही वनों के कटने से आज वह स्थिति दिखती नहीं। जंगली जानवरों को मार कर खाना, मुख्य धारा के खान-पान से इनकी दूरी आज भी बनी हुई है। ये किसी भी तरह की आधुनिक चिकित्सा से अपरिचित एवं महरूम हैं। इनके जीविकोपार्जन के पारम्परिक साधन समाप्त हो गए हैं। थोड़ा-बहुत सुअर पालन एवं संथी के मजदूरों की तरह ईंट भट्टे पर श्रमिक के रूप में कार्य कर ये किसी तरह अपना गुजारा कर रहे हैं।

आजादी के बाद जातियों की श्रेणियां बनाने वाले आयोग ने भी इन्हें विमुक्त जाति में ही रखा, जब कि बाद के जाति सुधार आयोग ने इन्हें विमुक्त जाति से निकाल कर अनुसूचित जाति में डाल दिया। यहां ये अपने से अगड़े दलितों द्वारा हाशिये पर कर दिए गए। तमाम जातियों के लोगों ने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया, लेकिन स्वाभिमानी "हिन्दू मुसहर," जो माता शबरी, एकलव्य, अंगद, जामवंत, सुग्रीव, हनुमान एवं विरसा मुंडा को अपना आदर्श मानता है, आज भी धर्म परिवर्तन से दूर रहते हुए अपने को हिन्दू धर्म से जोड़े हुए हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए मेरा आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से आग्रह है कि मुसहर वर्ग के सर्वांगीण विकास हेतु मुसहर जाति को अनुसूचित जनजाति में रखा जाए। मुसहर जाति के लोगों का अनिवार्य रूप से एकीकृत निर्णय से अंत्योदय कार्ड बनाया जाए। लौंहिया ग्राम, पं. दीनदयाल ग्राम, अम्बेडकर ग्राम जैसी योजनाओं से प्राथमिकता के स्तर पर मुसहर बस्तियों को लाभान्वित किया जाए। गांव सभा की खाली भूमि को उस ग्राम सभा में निवास करने वाली मुसहर आबादी को पट्टा कर खेती आदि के लिए दिया जाए। प्रत्येक मुसहर बस्ती को मुख्य सम्पर्क मार्ग से जोड़ा जाए। मुसहर समाज की बालिग लड़कियों के विवाह हेतु अनिवार्य अनुदान दिया जाए। प्रत्येक बस्ती में अनिवार्य तौर पर जलनिगम द्वारा हैंड पम्प लगवाए जाएं। विद्युतीकरण एवं सौर ऊर्जा द्वारा हर बस्ती को रोशन किया जाए। प्रत्येक बस्ती में एक शेडदार सार्वजनिक हाल बनाया जाए। मुसहर समाज के शिक्षित बेरोजगारों को प्राथमिकता से सरकारी नौकरियां दी जाएं। प्रत्येक बस्ती के लोगों को विधवा, वृद्धावस्था, विकलांग व समाजवादी पेंशन अनिवार्य तौर पर दी जाए। प्रत्येक बस्ती में बालवाड़ी केन्द्र खोला जाए। हर मुसहर का नि:शुल्क इलाज सुनिश्चित किया जाए एवं इनको पूरी शिक्षा नि:शुल्क दी जाए।

श्री विद्युत वरण महतो - उपस्थित नहीं।

श्रीमती रेखा वर्मा - उपस्थित नहीं।

श्री नाना पटोले - उपस्थित नहीं।